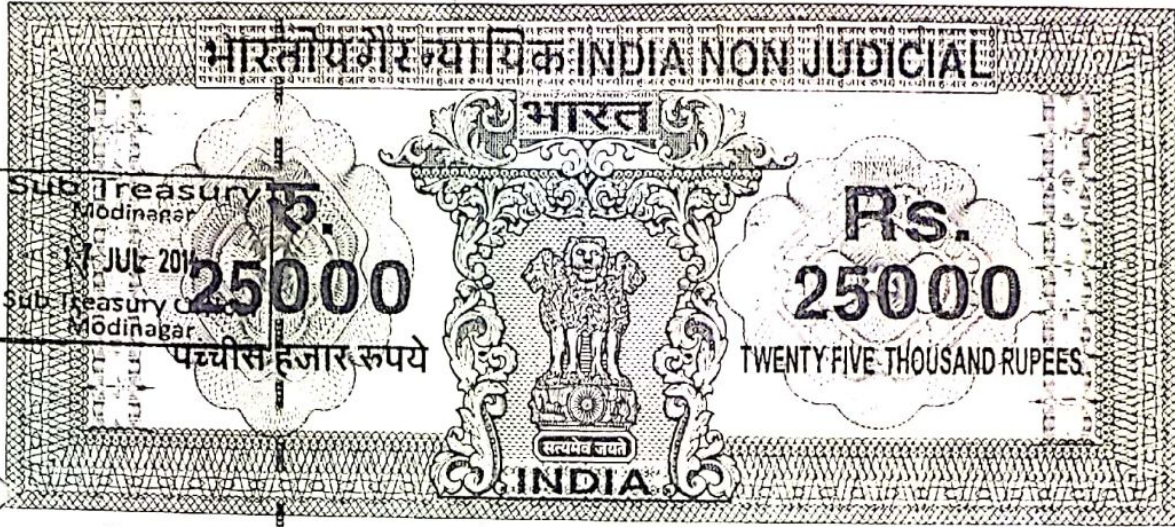


4875



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 686980

10546

विक्रय-पत्र

विक्रय पत्र अंकन-7,80,000 /--रुपये।

स्टाम्प शुल्क अंकन-54,600 /--रुपये।

विवरण विक्रय भूमि

भू-विक्रीत भूमि- भूमिधरी खाता नं० 135 के खसरा नं० 322 रकबा 0.6070 है० लगा 48.75 पैसे सालाना वाकै ग्राम सादाबाद जखैवा परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद में से उक्त खसरा नं० में विक्रेतागण का सम्पूर्ण हक व हिस्सा रक 0.0600 है० भूमि विक्रय है।

योगेश चन्द

Navendra Kumar

Sudesh Kumar

Rajendra



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 686981

2

2-विक्रीत भूमि विक्रय पत्र के समय खेती की भूमि है वर्तमान में खेती हो रही है उ राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि के रूप में अंकित है। नकल खसरा व खतौनी व नव जनजरी संलग्न है।

3- विक्रीत भूमि दिल्ली मेरठ मार्ग पर स्थित नहीं है।

4-विक्रीत कृषि भूमि पर कोई वृक्ष नहीं है तथा 200 मीटर की त्रिज्या में कृषि हो रहा है। विक्रीत भूमि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।

5-विक्रेतागण व केता अनुसूचित जाति / जनजाति से नहीं है।

6-विक्रय पत्र का समस्त व्यय केता ने सहन किया है।

7-भूमि ग्राम समाज व पट्टे की नहीं है।

8-नगर पालिका व मास्टर प्लान की सीमा से बाहर है।

9-विक्रीत भूमि में बोरिंग / टयूवेल नहीं है।

10-विक्रीत भूमि पर जिलाधिकारी द्वारा जारी दिनांक 1-8-13ई0 प्रचलित कलेक्टर लिस्ट पेज नं031 को सं0 265 के अनुसार दर 1,30,00,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर से है

Dr. Jyoti Kumar Sharma
Deputy Commissioner
Modinagar

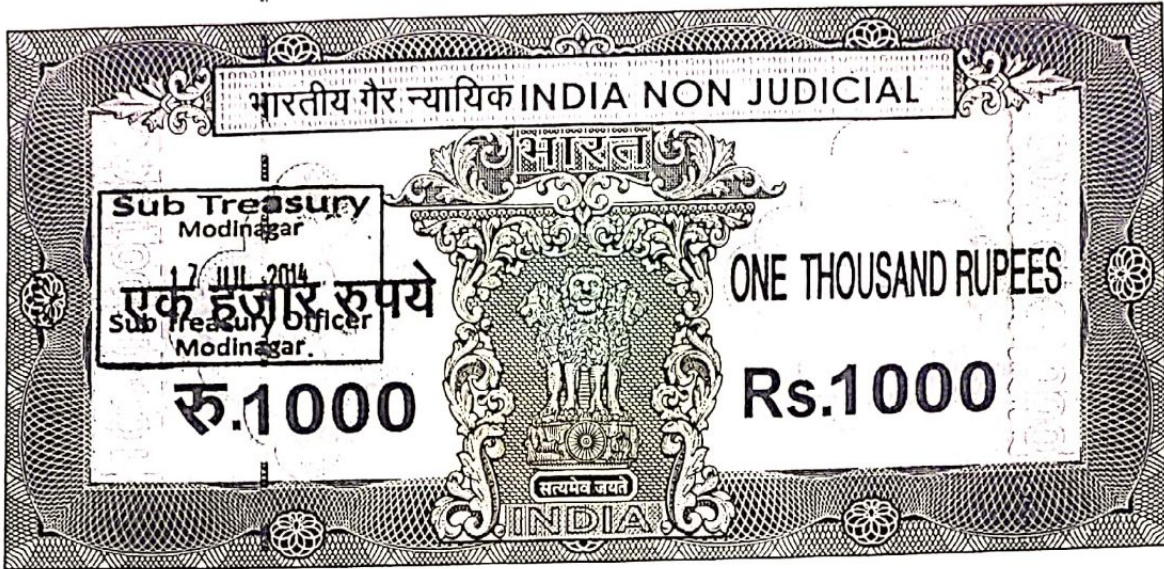


Dr. Jyoti Kumar Sharma

Narendra Kumar

Sushant Kumar Sharma

Vijay Gupta



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 553002

3

हम कि श्री योगेश चन्द पुत्र श्री उमेश चन्द खुद व बहैसियत मुखत्यारे आम मिन जानिव ओर से सुविश कुमार पुत्र श्री उमेश चन्द मुखत्यारनामा आम दिनांक 4-5-81ई0 को जिसकी रजिस्टरी बही नं04 जिल्द 365 के पृष्ठ 146/151 मे नं0 115 पर दफतर सब रजिस्टरी मेरठ मे दर्ज है जो आज दिन तक बदस्तूर कायम है व नरेन्द्र कुमार व सुधीश कुमार पुत्रगण श्री उमेश चन्द निवासी मौहल्ला कानून गोयान मेरठ तहसील व जिला मेरठ फरीक अब्बल विकेतागण

एवं

श्री विजय गुप्ता पुत्र स्व0 श्री विपिन गुप्ता निवासी सी -264, लोहियानगर गाजियाबाद फरीक दोनम केता ।

व

व

व

व

व

व

व

व

व

व

व

व

व

योगेश चन्द Narender Kumar Suresh Vijay Gupta



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 553003

4

विदित हो कि भूमिधरी खाता नं० 135 के खसरा नं० 322 रकबा 0.6070 है। लगानी 48.75 पैसे सालाना वाकै ग्राम सादाबाद जखैवा परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद में से उक्त खसरा नं० में विक्रेतागण का सम्पूर्ण हक व हिस्सा रकबा 0.0600 है। भूमि विक्रय है जिसके हम विक्रेतागण तन्हा नालिक काबिज स्वामी संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है विक्रय भूमि हम विक्रेतागण की और से आज दिन तकै समस्त प्रकार की देनदारी आड, रहन, बय, हिवा, महायदाबय, बैंक लोन, जमानत, तकावी आदिआदि से पाक व साफ है। कही दूसरी जगह ग्रस्त नहीं है जिसका यकीन व इत्मीनान हम फरीक अब्बल विक्रेतागण ने कंता को शपथ पूर्वक दिला दिया है इसी यकीन व इत्मीनान पर कंता उक्त भूमि को कय कर रहा है। अगर उक्त भूमि आड, रहन, बय, हिवा, महायदाबय, देनदारी सरकारी आदि आदि में ग्रस्त पाई गई

चौगेश नरु Navendra Kumar Suresh Vijay Chupta



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 553004

5

तो उसके हम विकेतागण स्वयं जिम्मेवार रहें एवं धोखे दर्ई जुर्म कानूनी के जिम्मेवार होंगे कोई वैधानिक अधिकार त्रुटि अथवा दोष हमारे अधिकारो मे नही है अतः हम फरीक अब्बल विकेतागण ने अपनी स्वेच्छा व प्रसन्नता से बिना दबाव व बहकाव किसी प्रकार के स्वस्थ मन बल बुद्धि की दशा मे स्वस्थ इन्द्रियो की दशा मे उक्त खसरा नं० मे से रकबा 0.0600 है० भूमि उपरोक्त को मये जुमले हक हकूक दाखिली खारिजी रकबा तहत जेरी कब्जा मालिकाना आदि आदि सहित बिना किसी अधिकार को छोडे आज की तारीख से बदले अंकन-7,80,000/-रुपये(सात लाख अस्सी हजार रुपये) मे आधे जिसके अंकन-3,90,000/- रुपये होते है मे बहक केता उपरोक्त के बय कतई कर दिया है और बेच दी है। कुल रुपया द्वारा चैंक नं०.015192 अंकन-1,95,000/-रुपये व चैंक नं०.015193 अंकन-1,95,000/-रुपये व चैंक नं०.015194 अंकन-1,95,000/-रुपये व चैंक नं०.015195 अंकन-1,95,000/-रुपये चारो चैंक दिनांक 18-7-14ई० बैंक ऑफ इंडिया शाखा कोशाम्बी द्वारा जारी है। शेष लेन देन बाकी नही रहा है।

चौगेश मन्त्र

Narender Kumar

सुखी अजय कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 553005

6

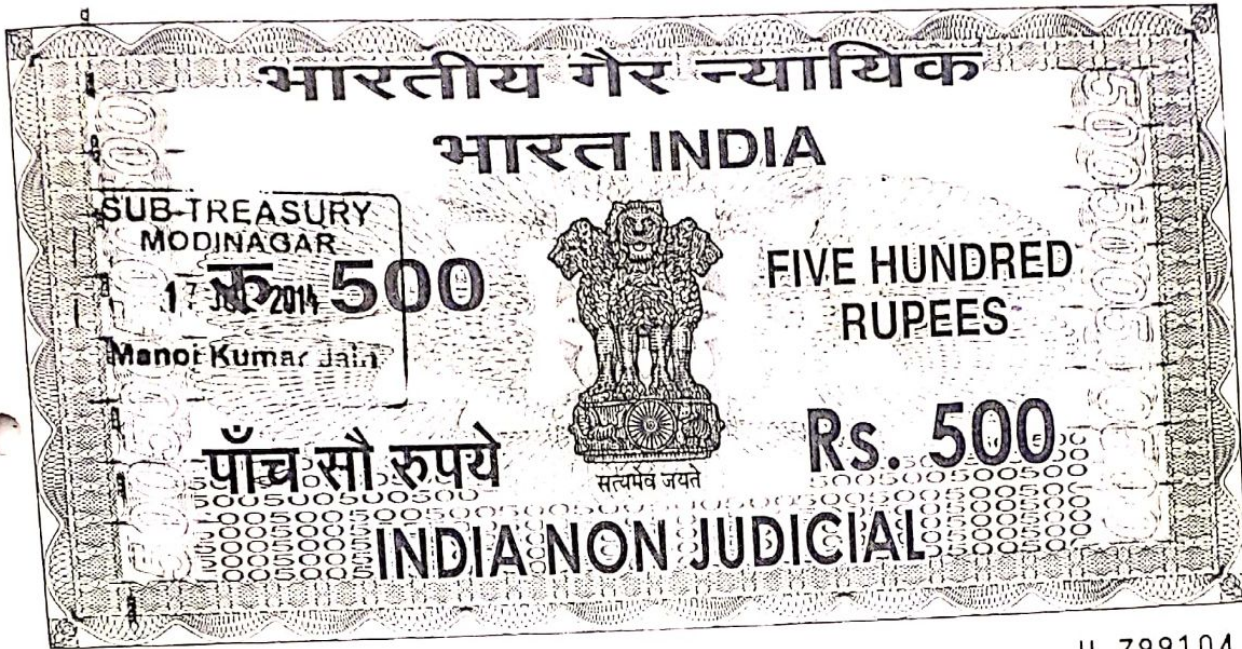
अधिकार का परिवर्तन हो गया है। हम विक्रेतागण को जो भी अधिकार विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में प्राप्त थे उनका अन्तरण केता के पक्ष में कर दिया गया है। केता विक्रय भूमि का वास्तविक मालिक काबिज व्यक्तिगत स्वामी भूमिधर हो गया है। कब्जा मौके पर केता का वास्तविक रूप से करा दिया गया है हम विक्रेतागण का या हमारे वारसान का विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ यह विक्रय विलेख पूर्णतया उचित वैधानिक एवं सर्वमान्य है और प्रयोग होने योग्य है। भूमि पर अधिपत्य भूमिधरी के केता को दे दिया है केता भूमि- भूमिधरी को अपने प्रयोग में लाने तथा उसको अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करने के अधिकारी रहेंगे और दाखिल खारिज कराकर कागजात सरकारी में अपना नाम मेरे नाम के स्थान पर पूर्ण स्वामी के रूप में अंकित कर लेने के अधिकारी रहेंगे यदि कागजात माल में नाम अंकित कराने के सम्बन्ध में अगर हमारी कही पर भी अनुमति या दस्तखतो वगैरा की आवश्यकता होगी तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रीत भूमि- भूमिधरी अथवा उसका अंश किसी वैधानिक त्रुटिवश अथवा दोषवश केता के अधिकार स्वमित्व एवम् अधिपत्य आदि से निकल जावेगा या कोई त्रुटि या भार विक्रीत भूमि- भूमिधरी

नवीन कुमार

Navench Kumar

Sudh

Dijay Gupta



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 399104

7

पर पाया जायेगा और केता को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए चुकता करना पड जायेगा या विक्रय पत्र मिलकियत मे कमी पाये जाने के कारण किसी न्यायालय द्वारा गलत सिद्ध हो जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा मे केता को अधिकार प्राप्त होगा कि अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी भी दशा हो क्षति व खर्चा बैनामा व कानूनी ब्याज व वाद व्यय सहित हम विक्रेतागण एवं हमारे उत्तराधिकारीगणों की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार उचित जाने वापस प्राप्त कर लें जिसमे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी । उपरोक्त लेख पत्र हमदोनो फरीकेन के द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लेखक ने लिपिबद्ध किया है जिसके हम दोनो फरीकेन स्वयं जिम्मेवार है एवं केता व विक्रेतागण की शनाख्त गवाहों ने की है विक्रय विलेख के सम्पूर्ण तथ्य स्थिति परिस्थिति आदि आदि के लिए हम विक्रेतागण व केता व दोनो गवाहान जिम्मेवार रहेगें लेखक जिम्मेवार नहीं होगा ।

100 99 21/07/2014

Narendra Kumar

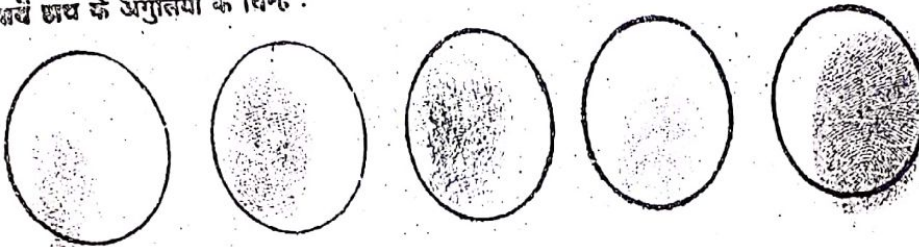
Sukin

Dijay Gupta

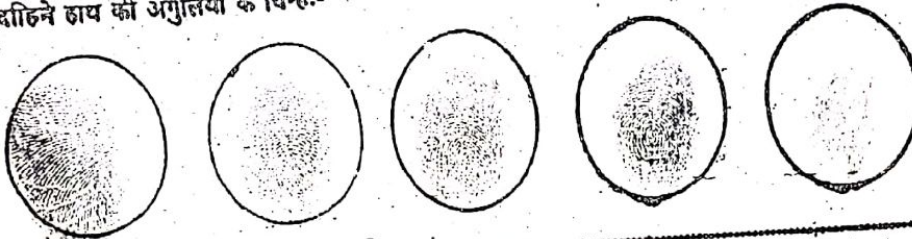
रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन
हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : मोहम्मद अली

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

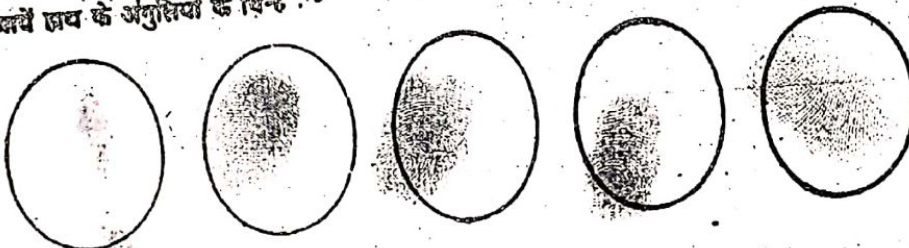


बाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

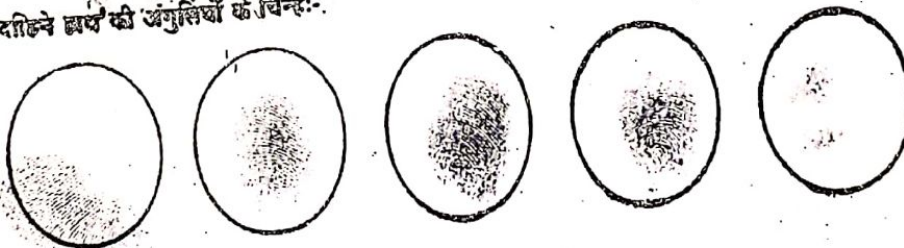


रि प्रेता का नाम व पता : मोहम्मद अली

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



बाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-



मोहम्मद अली

Narinder Kumar

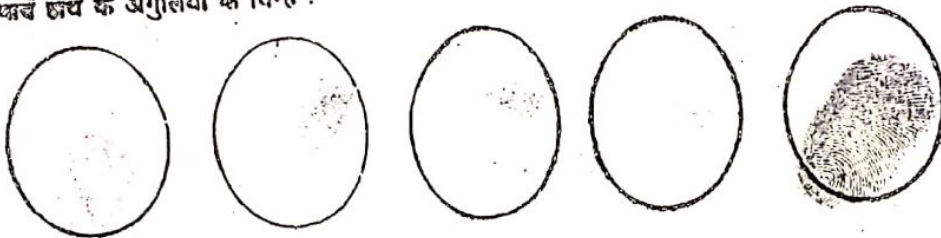
Sudha

Ajay Gupta

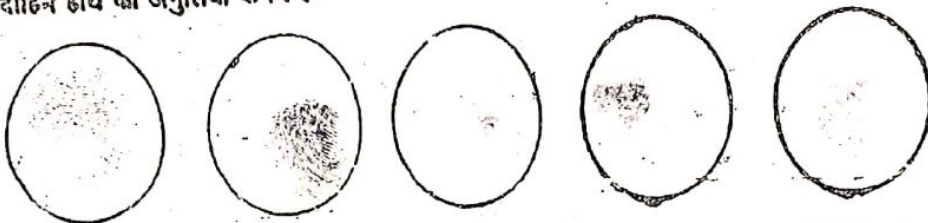
रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन
हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : सुधीश कुमार

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

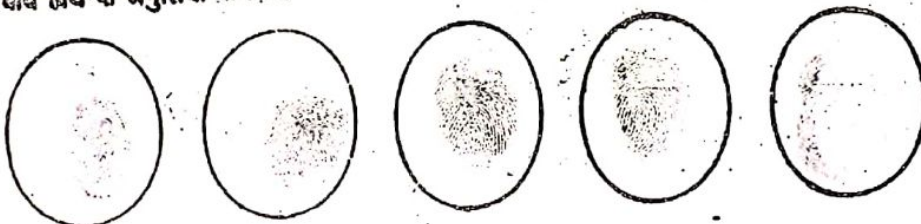


दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-



प्रेता का नाम व पता : विजय कुमार

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-



सौतेला चन्द Narender Kumar

Sulav

Dijay Gupta

पार्ट ऑफ डोकुमेंट नजारी नक्शा

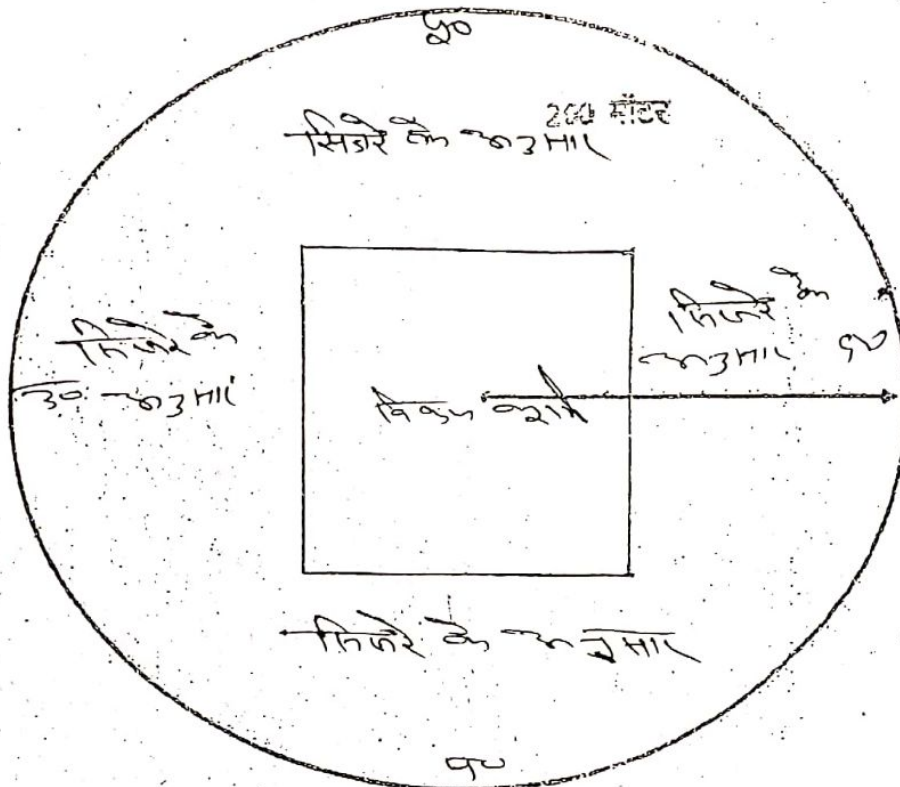
विशेष कृषि भूमि की 200 मीटर की दूरी में स्थित सभी भूखण्ड नजारी नक्शा

विशेष कृषि भूमि स्थित ग्राम :- मि.प.म.पु.

विशेष भूमि के ख. नं. :- 321

कुल रकबा :- 0.0307

तारीख तयारी :- 17-7-14



हस्ताक्षर विक्रेता :-

हस्ताक्षर क्रयता :-

नक्शा हाका दस्तावेज नं०..... के साथ संलग्न है।

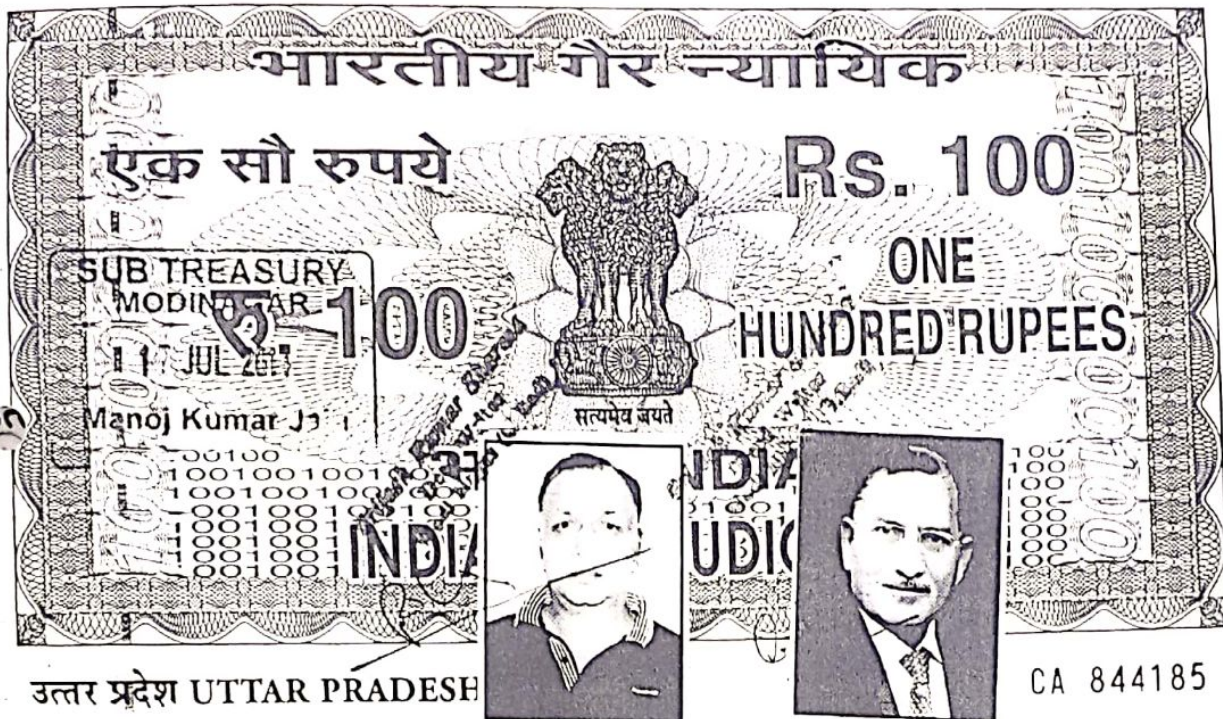
हारा मोहोरपत्र

मो.प.म.पु.

Narender kumar

Sukh

Dijay Gupta



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 844185

8

अतः बैनामा कतई लिखा दिया कि प्रमाण रहे
और समय पर काम आवे । इति ।

ब्रजेश कुमार

Navendu Kumar

Sunder

Dijay Gupta

गवाह :- रावेंद्र कुमार पुत्र ब्रजेश कुमार, अर्ज
लोदी नगर गाँववासी

गवाह :- रमेश्वर दयाल पुत्र ब्रजेश कुमार रावेंद्र कुमार
पुत्र ब्रजेश कुमार

दिनांक 17-7-2014 ई० मसौदा ब्रजेश कुमार शर्मा वसीका नवीस मोदीनगर ।
टाईप किया: हरेन्द्र ।

Handwritten signature
Dijay Gupta
Dijay Gupta
Dijay Gupta

56 17-7-14
51
190
D

T-2014/1280 22031
23/08/2014

दिनांक 13/07/2014
वही सं. 1 जिल्द सं. 7184
पृष्ठ सं. 97 से 96 पर क्रमांक 9875
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर


उप निबंधक/मीरा बगर
गाजियाबाद
16/7/2014

